क्रम संख्या–106 (घ) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 08 अक्टूबर, 2024 ई0

आश्विन 16, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 1734 / VII-A-1 / 2024–03(101)2021

देहरादून, 08 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

प0 आ0–82

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 यथासंशोधित 2023 व 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नीति बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति (तृतीय संशोधन) 2024 है।

(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिन्दु संख्या 2 के उपनियम (त) का संशोधन

2. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान बिन्दु 2 के उपबिन्दु (त) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान बिन्दु	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित बिन्दु
नियम 02– परिभाषाएं– (त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक /ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत हैं।	नियम 02– परिभाषाएं– (त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद के जिला खान अधिकारी अभिप्रेत हैं।

बिन्दु 06 का संशोधन

3. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–I के बिन्दु 06 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
5 स्थल चयन समिति– आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :– 1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी– अध्यक्ष। 2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो– सदस्य। 3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि– सदस्य। 4. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य सचिव चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।	5 स्थल चयन समिति– आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :– 1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष। 2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो – सदस्य 3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि – सदस्य। 4. जिला खान अधिकारी– सदस्य सचिव। 5. भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (मात्र पर्वतीय क्षेत्रों हेतु) – सदस्य। चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

बिन्दु 13 में उपबिन्दु (3) का अंतःस्थापन

4. मूल नीति के अध्याय–I के बिन्दु 13 के उपबिन्दु (2) के पश्चात उपबिन्दु (3) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

13–अनुज्ञा स्वीकृतिः–

(3) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी, स्वीकृत क्षेत्रफल एवं क्षमता में विस्तार कराना चाहता है तो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा जिला खान अधिकारी के कार्यालय में आवेदन मय अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी व सम्बन्धित तहसीलदार की संस्तुति पर स्वीकृत क्षेत्र का विस्तारीकरण महानिदेशक/निदेशक के द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु किया जायेगा।

बिन्दु 14 के उपबिन्दु (9) का संशोधन

5. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 14 के उपबिन्दु (9) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

14 स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें :–	14 स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें :–
(9). प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर रू0 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।	(9). प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सी0सी0टी0वी0 की रिर्काडिंग को न्यूनतम 30 दिन तक संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा रिकॉडिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है या मॉगे जाने पर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नही की जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू0 पांच लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

बिन्दु 15 का

6. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु संख्या 15 विनियमितीकरण के उप बिंदु (1) को नीति से विलोपित किया जाता है।

बिन्दु 17 का संशोधन

7. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

17–नाम परिवर्तन/भागीदारों के नाम परिवर्तन /अनुज्ञा हस्तान्तरण:–	17–नाम परिवर्तन/भागीदारों के नाम परिवर्तन /अनुज्ञा हस्तान्तरण:–
(1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–	(1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं शुल्क सहित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/ प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक/ निदेशक के द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–
1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदरों का नाम परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 2.00 लाख। 2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 1.00 लाख।	1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन– प्रत्येक हेतु रू0 2.00 लाख।

बिन्दु 20 का संशोधन

8\. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
20. अनुज्ञा शुल्क	20. अनुज्ञा शुल्क
मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :– रू0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु) रू0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु) रू0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु) रू0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)	मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क रू0 2.00 लाख देय होगा।

बिन्दु 21 का संशोधन

9\. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
21. आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण:–	21. आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण:–
मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण–दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।	मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज करायें। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/ संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी।

बिन्दु 22 का संशोधन

10\. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 22 के उपबिन्दु (8) को विलोपित करते हुए स्तम्भ–2 में दिये गये बिन्दु रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
22. स्थल चयन मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति:–	22. स्थल चयन मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति:–
(1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।	(1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।	(2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।
(3) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।	(3) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।
(4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।	(4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
(5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।	(5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
(6) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।	(6) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
(7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ–साथ स्वीकृत की जायेगी।	(7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम दो वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए महानिदेशक/निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।	परन्तु यह कि मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।

(8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे। (9) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।	(8) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु 23 के उपबिन्दु (2) का संशोधन

11. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 23 के उपबिन्दु (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

23. नवीनीकरण	23. नवीनीकरण
(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में दो वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

बिन्दु 25 का संशोधन

12. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 25 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

25. आवेदन:–	25. आवेदन:–
हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची–6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।	हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट/WMM प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची–6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

बिन्दु 25 में उपबिन्दु (1) का अंतःस्थापन

13. मूल नीति के विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 25 में उप बिन्दु (1) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

25. आवेदन

(1) मैदानी क्षेत्रों मे हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक निम्नानुसार होंगे :–

1. शहर व कस्बों की सीमा से – 01 कि0मी0
2. आवासों से दूरी– 0.5 कि0मी0
3. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से– 0.2 कि0मी0
4. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, मन्दिर से–0.5 कि0मी0
3. अस्पताल, न्यायालय तथा पर्यटन स्थल से– 01 कि0मी0

पर्वतीय क्षेत्रों मे हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक मैदानी क्षेत्रों मे दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत लागू होंगे।

बिन्दु 26 का संशोधन

14. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 26 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

26. अनुज्ञा शुल्कः–	26. अनुज्ञा शुल्कः–
अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/–	अनुज्ञा शुल्क रू0 1.00 लाख/–

बिन्दु 27 का संशोधन

15. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 27 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

27. अनुज्ञा स्वीकृतिः–	27. अनुज्ञा स्वीकृतिः–
1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी। हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	1. महानिदेशक/निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा जिला खान अधिकारी व सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति परियोजना निर्माण अवधि अथवा दो वर्ष की अवधि, जो भी न्यून हो, हेतु की जायेगी।

बिन्दु 28 का संशोधन

16. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 28 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

28. नवीनीकरण	28. नवीनीकरण
हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा। हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।	हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट/WMM प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय– III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा। हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट/WMM प्लान्ट का नवीनीकरण जिला खान अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा 02 वर्ष या परियोजना निर्माण अवधि, जो भी न्यून हो, के लिए की जायेगी।

बिन्दु 29 के उपबिन्दु (1) का संशोधन

17. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 29 के उपबिन्दु (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

29. अन्य शर्तेः–	29. अन्य शर्तेः–
(1) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति	(1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।	से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

बिन्दु 31 का संशोधन

18\. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 31 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

31\. आवेदनः–	31\. आवेदनः–
पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची–7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।	पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची–7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

बिन्दु 32 का संशोधन

19\. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 32 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

32\. आवेदन शुल्कः–	32\. आवेदन शुल्कः–
पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।	पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 2.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

बिन्दु 35 का संशोधन

20\. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 35 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

35\. अनुज्ञा स्वीकृतिः–	35\. अनुज्ञा स्वीकृतिः–
पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।	पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की संस्तुति पर महानिदेशक /निदेशक के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की जायेगी।
पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।	पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।

बिन्दु 36 का संशोधन

21. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 36 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

36. नवीनीकरणः–	36. नवीनीकरणः–
पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।	पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 2.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर प्लांट एवं प्लांट परिसर मे भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक/ निदेशक द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की जायेगी।

बिन्दु 37 का संशोधन

22. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 37 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

37. नाम परिर्वतन/भागीदारों के नाम परिवर्तन/ अनुज्ञा हस्तान्तरणः–	37. नाम परिर्वतन/भागीदारों के नाम परिवर्तन/ अनुज्ञा हस्तान्तरणः–
पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–	पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक/निदेशक के द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–
पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु– रू. 50,000/–	पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु रू. 1.00 लाख/–

बिन्दु 38 का संशोधन

23. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 38 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

38. विविधः–	38. विविधः–
स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटको	स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट

प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।	मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट/WMM प्लान्ट में उत्पादित/विक्रय किये गये उपखनिज की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक –0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में अग्रिम रूप से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

बिन्दु 39 का संशोधन

24\. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 39 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा। मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट /हाट मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।	(1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा। मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट/पल्वराईजर/WMM प्लान्ट को नीति के विपरीत कार्य करने पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
(2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।	(2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के सबंध में निर्णय लिया जायेगा।
(3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।	(3) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरूद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में

(4) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरूद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/ अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।	विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/ अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

बिन्दु 39 में उपबिन्दु (5) का अंतःस्थापन

25. मूल नीति के अध्याय–IV के नियम 39 में उप बिन्दु (4) के उपरान्त उप बिन्दु (5) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(5) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, आदि के द्वारा क्रय किये गये उपखनिज को प्लांट में Process किये जाने के उपरान्त Crushed material/Screened Material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed Material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

बिन्दु 42 में उपबिन्दु (1) का अंतःस्थापन

26. मूल नीति के अध्याय–V के नियम 42 में उपबिन्दु (1) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

42– अनुज्ञा स्वीकृतिः–

(1) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों के द्वारा स्टोन क्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स के तैयार माल को प्लांट परिसर से बाहर अन्यत्र किसी निजी नाप भूमि पर एकत्रित करना चाहता है अथवा पूर्व से ही रखा गया है, की अनुमति जिला खान अधिकारी तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा दो वर्ष की अवधि अथवा परियोजना निर्माण अवधि, जो भी न्यून हो, तक अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु दूरी के मानक लागू नही होंगे।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार संत,

सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13/औ0वि0/545–2024–100+200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।